न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर ।

अपील संख्या- 155/2004

1- पप्पूसिंह पुत्र गुमानसिंह
2- नाहरसिंह पुत्र गुमानसिंह नाबालिग जरिये संरक्षक भाई पप्पूसिंह पुत्र गुमानसिंह
3- रिछपालसिंह पुत्र गणेशसिंह

जाति राजपूत निवासीगण परसरामपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---अपीलान्टस्---

---बनाम---

1-राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर ।
2-भूमिधारक तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
3- ग्राम पंचायत सरगोठ जरिये सरपच ग्राम पंचायत सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।
4- बोदूसिंह पुत्र सुगनसिंह (मृतक)
4/1-मोहनकंवर पत्नी बोदूसिंह
4/2-भवानीसिंह पुत्र बोदूसिंह
4/3-राजाकंवर पुत्री बोदूसिंह
5- मदनसिंह पुत्र सुगनसिंह
6- बन्नेसिंह पुत्र सुगनसिंह
7- सुरेन्द्रसिंह पुत्र सुगनसिंह
8- किशोरसिंह पुत्र सुगनसिंह
9- मामराजसिंह पुत्र सुगनसिंह
10-चांदकंवर पत्नी सुगनसिंह (फौत)

जाति राजपूत निवासी परसरामपुरा तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-9-2004 द्वारा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ।

---0--

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं प्रदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

उपस्थिति-

1- श्री रामेश्वरलाल बिजारणीया एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्री विरेन्द्रसिंह एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक- 20.11.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/ अपीलान्ट्स ने अदालत मातहत में दावा बाबत ईस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा एवं दुरूस्ती रेकार्ड का पेश कर निवेदन किया कि आराजी गत खसरा नं0 284 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा एव खसरा नं0-285 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा तन ग्राम सरगोठमें स्थित है । इस ग्राम का राजस्व ग्राम परसरामपुरा होने से यह आराजी अब ग्राम परसरामपुरा में स्थित है ।उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा वादी सं0-1 व 2 का तथा 1/3 हिस्सा वादी संख्या-3 का एवं 1/3 हिस्सा प्रतिवादी सं0-4 से 10 व मृतक झाबरसिंह के नाम दर्ज है । झाबरसिंह लाऔला--द फौत हो गया ।जिसके वारिस प्रतिवादी सं0-4 से 10 ही है ।सैटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी के नये खसरा नं0 270 से 274 बने जो गलत बने हैं । वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-4 से 10 की खातेदारी पुराने ख0नं0 284 व 285 के नये खसरा नं0 उपरोक्त नहीं है । नये खसरा नम्बर 270 रकबा 0.60 हैक्टर दर्ज किया गया है उसमें से केवल 0.30 हैक्टर रकबा ही वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-4 से 10 की खातेदारी का है। वादीगण के पुराने खसरा नं0 के वास्तविक खसरा नं0 277 रकबा 0.70 हैक्टर, ख0नं0 276 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 254 ~~रकबा~~ के रकबा 14.93 हैक्टर में से रकबा 0.18 हैक्टर दक्षिणी भाग जो ख0नं0 276 के उत्तर में जो इस खसरा नम्बर की सिधाई में है । इसी आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-4 से 10 का कब्जा काश्त है ।सैटलमेन्ट ने उक्त आराजी को गौचर भूमि दर्ज कर दिया जिसका उसे कोई हक अधिकार नहीं है ।इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का हक अधिकारी वादीगण को है। उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी सं0- 4

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

से 10 के कब्जा काश्त की आराजी रही है । यह आराजी कभी भी गौचर भूमि नहीं रही है ।वादीगण को इस गलत इन्द्राज की जानकारी पहले नहीं थी। इसकी जानकारी होते ही तहसीलदार को प्रार्थना पत्र पेश किया तथा तहसीलदार द्वारा मना करने पर यह दावा पेश किया जिसे अदालत मातहत ने बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना अपना निर्णय पारित किया है ।अदालत मातहत में रेस्पो0 सं0-1 से 3 ने अपीलान्ट के दावे का कोई जबाब पेश नहीं किया तथा इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी । रेस्पोडेन्ट संख्या-4 से 10 ने अपीलान्ट के दावे का जबाब पेश किया किन्तु दावे का कोई खण्डन नहीं किया गया ।तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने मौके की जांच कर मौका रिपोर्ट दि0 27-2-2010 तैयार की जिसमें खसरा नं0 276 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 277 रकबा 0.70 हैक्टर व खसरा नं0 254 रकबा 0.18 हैक्टर पर वादीगण का कब्जा काश्त बताया है तथा यही खसरा नं0 पुराने ख0नं0 284 व 285 से बने है जो नक्शे में इसी अनुसार दर्ज है ।अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री निरस्त कर वादीगण का दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत माहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस विद्वान अभिभाषकगण बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रदर्श-1 जमाबन्दी में आराजी ख0नं0 256, 284, 285, 316, 319, 325, 326, 327, 328, 361/1222 कुल किता-10 रकबा 70 बीघा 3 बिस्वा की खातेदारी झुझसिंह पुत्र पीरूसिंह 1/2, सुगनसिंह, रिछपाल सिंह, गुमानसिंह पि0 गणेशसिंह के नाम दर्ज है ।प्रदर्श-2 जमाबन्दी सं0-2051 से 2054 में ख0नं0 1259, 11/3182, 281/3306 चारागाह दर्ज है । जिसमें ख0नं0 276, 277 एवं 254 की किस्म भी चारागाह दर्ज है । प्रदर्श 4 जमाबन्दी सं0-2051 से 2054 में ख0नं0 270, 271, 273, 274, एवं अन्य खसरा नम्बर बोदूसिंह, मदनसिंह, बल्लूसिंह, सुरेन्द्रसिंह, किशोरसिंह, मामराज सिंह, झाबरसिंह पि0 सुगनसिंह व मु0 चान्दकंवर बेवा सुगनसिंह ब0हि0ब0 1/3, रिछपाल सिंह हि0 1/3, पप्पूसिंह, नाहरसिंह पि0 गुमानसिंह हि0ब0 हि0 1/3 दर्ज है । प्रतिवादी सं0- 4 व 6 ने इकबालिया जबाब दावा पेश कर दावा स्वीकार करने का कथन किया है ।गवाहन के बयानों का अवलोकन किया गया ।प्रदर्श-3 जमाबन्दी में ख0नं0 254, 276, 277 चाराहगाह के नाम दर्ज है तथा किस्म भी चारागाह दर्ज है । जिस पर अपीलान्टस् अपना कब्जा बता रहे हैं । मौका रिपोर्ट जो अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पेश की गई है । उसमें कब्जा बताये जाने पर चारागाह की भूमि की खातेदारी नहीं दी जा सकती । अदालत मातहत ने अपना निर्णय सभी तथ्यों पर गौर करने के बाद दिया है । अदालत मातहत के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 8-9-2004 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 20.11.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर